CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

First draft received: 12.06.2023, Reviewed: 18.06.2023, Accepted: 23.06.2023, Final proof received: 30.06.2023

चौमु में पर्यावरण प्रबन्धन व सतत विकास की रणनीति

डॉ शंकर लाल चौपड़ा
सहायक आचार्य–भूगोल
सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविधालय कालाडेरा, जयपुर
Email -chopradrsl@gmail.com, *Mob.-9636847907*

सारांश

पर्यावरण अवनयन के कारण चौमू तहसील में असन्तुलित हो रहे पर्यावरण में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही है जिसके निदानार्थ सतत् विकास की रणनीति इस क्षेत्र की एक महाी आवश्यकता है। बिगड़ती पारिस्थितिकी ने इस तथ्य पर चिन्तन करने को बाध्य कर दिया है। बढ़ती विकास की गति ने पर्यावरणीय सन्तुलन को नजरअंदाज किया है जिसके फलस्वरूप अनेक भौतिक एवं सामाजिक विकृतियाँ उत्पन्न हुई है। इसलिए चौमू तहसील में असन्तुलित पारिस्थितिक तन्त्र को हासित होने से बचाने के लिए सतत् विकास की रणनीति बनाना एक महŠवपूर्ण आवश्यकता है। इस क्षेत्र में मानव की भौतिकवादी सोच के कारण संसाधनों का अविवेकपूर्ण तथा अनियोजित अतिदोहन किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप न केवल संसाधनों की कुल मात्रा अपने निन स्तर तक गिर गयी है बल्कि वर्तमान में उपलध अल्प संसाधनों की गुणव में भी ह्रास हुआ है जिसके कारण इस क्षेत्र की भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर तो प्रश्न चिह्न लगा ही है साथ ही वर्तमान मानवीय जीवन पर भी इनका दुष्प्रभाव परिलक्षित होने लगा है। सतत् या संविकास की संकल्पना का मूल बिना विनाश किए विकाश (Development Without Destruction) है जिसमें सन्तुलित और व्यवस्थित नियोजन पर आधारित आर्थिक, सामाजिक विकास निहित है। चौमू तहसील में उपलध संसाधनों का मानवीय हित में ऐसा उपयोग किया जाए कि पर्यावरण की गुणव निरन्तर बनी रहे तथा विकास में बाधा भी नहीं आए। अर्थात् इस क्षेत्र के जीवमण्डल की क्षमता के आधार पर संसाधनों की उस सीमा तक दोहन किया जाए कि प्रकृति की सहनशीलता से बाहर न हो योंकि सहनीय सीमा से अधिक संसाधनों का दोहन करने पर चौमू तहसील में असन्तुलन की स्थिति और अधिक विकट हो जाएगी तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का अभाव हो जाएगा। संविकास की संकल्पना से तात्पर्य यह है कि चौमू तहसील की जनता में एक ऐसी चेतना का विकास करना है जो भौतिक विकास के लिए अपने प्राकृतिक परिवेश के मैत्रीपूर्ण उपयोग की भावना विकसित कर सके।

मुख्य शब्द : *पारिस्थितिकी, सतत् विकास, अतिदोहन, नियोजन, प्राकृतिक परिवेश,आर्थिक, सामाजिक विकास, पर्यावरण आदि.*

प्रस्तावना

चौमू तहसील में विगत वर्षों से हो रहे पर्यावरणीय ह्रास का मु□य कारण इस क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों में विकास का असन्तुलित वितरण ही है। असन्तुलित विकास के कारण चौमू तहसील के विभिन्न उपक्षेत्रों में विकास के स्तर तथा जीवन के भौतिक स्तर में सर्वाधिक असमानता पायी जाती है जिसके कारण इस क्षेत्र में अमीर तथा गरीब दो उपवर्ग बन गए हैं। दोनो वर्गों के मध्य वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं। अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण कर रहे हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों का भी अमीर वर्ग सर्वाधिक उपयोग कर रहा है। जबकि गरीब वर्ग के लोगों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भी पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसलिए निर्धनता से ग्रस्त लोगों को जीवन निर्वाहन के लिए संसाधनों का नि□न स्तर तक दोहन करना पड़ रहा है। इन निर्धन लोगों का पर्यावरण संरक्षण को अपनाने का अर्थ है मौत से समझौता करना। इसलिए विकास की असमानता इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पारिस्थितिकीय समस्या है जिसके निवारण के लिए सन्तुलित विकास की अवधारणा प्रमुख है। सन्तुलित विकास से ही इस क्षेत्र के गरीब और अमीर दोनों वर्गों को उपयुक्त लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। असमानता को दूर करना, गरीब–अमीर के मध्य के अन्तर को मिटाना आदि को दूर करके ही पर्यावरणीय संरक्षण की संकल्पना का विकास किया जा सकता है तभी इस क्षेत्र का सन्तुलित विकास स□भव है। पर्यावरण संकट, विकास का संकट, ऊर्जा संकट, सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक विविधता आदि समस्याएँ जो चौमू तहसील में विकट रूप में पायी जाती है ये सभी समस्याएँ एक–दूसरे पृथक न होकर परस्पर अन्योन्याश्रित है। वर्तमान में मृदा अपरदन, प्रदूषण, ऊर्जा से संकट, पारिस्थितिक असन्तुलन आदि समस्याएँ चौमू तहसील में आर्थिक विकास की असफलता के रूप में दृष्टिगत होने लगी है। इसलिए इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए पर्यावरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना संविकास का अभिन्न अंग है।

चौमू तहसील में पर्यावरणीय ह्रास का प्रभाव वर्तमान में स्पष्टतया परिलक्षित हो रहा है जिसके कारण ही अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई है। इसलिए विकास एवं पारिस्थितिकी में एक को गौण तथा एक मु□य न मानकर परस्पर अन्योन्याश्रित मानकर समन्वित विकास पर ध्यान देना इस क्षेत्र के लिए महŠवपूर्ण है।

सतत विकास व प्रबंधन

चौमू तहसील में बढ़ती जनसं□या के दबाव तथा स्थानीय लोगों की भौतिकवादी विचारधारा के कारण संसाधनों के अतिदोहन का क्रम अनवरत चलता आ रहा है जिसके कारण पर्यावरणीय तŠवों का तेजी से ह्रास होने के परिणामस्वरूप पर्यावरण के

घटक अपने प्राकृतिक स्वरूप को खोते जा रहे हैं। पर्यावरण का अत्यधिक शोषण होने के कारण वर्तमान समय में चौमू तहसील के स□पूर्ण भाग में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रबन्धन के अन्तर्गत पर्यावरण का उपयुक्त उपयोग करके अधिकाधिक मानवोपयोगी बनाया जा सकता है जिसमें पर्यावरण के घटकों का सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए।

जल प्रबन्धन

जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला यह अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति की रचना में सहभागी होकर स□पूर्ण जीवमण्डल को आधार प्रदान करता है। जल धरातलीय जल एवं भूमिगत जल दोनों स्थितियों में पाया जाता है। चौमू तहसील में धरातलीय जल केवल वर्षा काल में ही पाया जाता है। जो मेंढा तथा बांडी नदियों में प्रवाहित होता है।

इसके अतिरिक्त बंजर तथा चरागाह भूमि पर बने छोटे-छोटे तालाबों में वर्षा जल एकत्रित हो जाता है लेकिन इनमें जल वर्षाकाल तथा वर्षा समाप्ति के बाद दो-तीन महिनों तक ही पाया जाता है।

इसलिए चौमू तहसील में जल भू-जल के रूप में ही पाया जाता है जिसके आधार पर इस क्षेत्र का स□पूर्ण जीवन संचालित होता है। लेकिन विगत दो दशकों में बढ़ती जनसं□या के दबाव, कृषि प्रारूप में परिवर्तन तथा ऐसी फसलों का उत्पादन जिनमें सिंचाई के लिए अधिक भू-जल का उपयोग किया जा रहा है, औद्योगिकरण एवं नगरीयकरण के कारण भू-जल का तीव्र दोहन किया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र के भू-जल में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टियों से ह्रास हुआ है।

इसलिए चौमू तहसील में उपलŽध जल का वर्तमान आवश्यकताओं एवं भावी पीढ़ी की जलीय आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए जलीय प्रबन्धन की अति आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत नि□नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :-

(i) जल की प्रदूषण से सुरक्षा

बढ़ती आर्थिक क्रियाएँ तथा नगरीयकरण के कारण चौमू तहसील में उपलŽध जल की मात्रा एवं गुण दोनों में ह्रास हो रहा है। प्रदूषित हो रहे जल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख जल स्रोतों के निकट अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन को रोका जाए। जैतपुरा-कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्रों से निसृत जल को उपचार के उपरान्त ही विसर्जित किया जाए, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि कार्यों पर रोक, जल के अतिदोहन पर नियन्त्रण, फसल प्रारूप में परिवर्तन कर मात्रात्मक हास पर नियन्त्रण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जल संरक्षण के लिए जलीय प्रदूषण पर नियन्त्रण करना एक महžवपूर्ण कारक है जिससे वर्तमान में उत्पन्न जल संकट पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

(ii) भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग

जहाँ विश्व स्तर पर कुल जल आपूर्ति का ख्भ् प्रतिशत भू-जल पर निर्भर है वहीं चौमू तहसील की स□पूर्ण जलीय आवश्यकताएँ भू-जल पर ही निर्भर हैं।

विगत दो-तीन दशकों में चौमू तहसील में बढ़ती जनसं□या के लिए पेयजल, कृषि प्रारूप में परिवर्तन के कारण अधिक सिंचाई, औद्योगिकरण आदि के कारण भू-जल की मात्रा तीव्र गति से कम होती जा रही है। भू-जल का दोहन एक बार होने के उपरान्त पुनः पूर्ति (Reinfiltration) काफी ल□बे समय में पूर्ण हो पाता है। इसलिए पुनः आपूर्ति के अनुपात में ही दोहन किया जाना चाहिए। वर्तमान में चौमू तहसील में भू-जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जा रहा है। चौमू तहसील में भू-जल का उपयोग क्त्त्% हो रहा है जिसके कारण यह क्षेत्र अतिदोहन की श्रेणी में आता है। इसलिए भू- से जल का विवेकपूर्ण दोहन करके ही इस क्षेत्र के भू-जल की मात्रा को आनुपातिक रूप बचाये रखा जा सकता है, जिसके लिए वर्तमान फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करके तथा कालाडेरा में कोका कोला शीतल पेय फै€ट्री द्वारा अतिदोहन को नियन्त्रित एवं पुनर्भरण हेतु आवश्यक उपाय अपनाए जाएँ।

(iii) जनसंखया पर नियन्त्रण

चौमू तहसील में जनसं□या में तीव्र वृद्धि तथा जल संसाधन में प्रादेशिक रूप में मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी आने से जल संकट ने उग्र रूप ले लिया है। निरन्तर जल की मांग बढ़ती जा रही है जिसमें कृषि, उद्योग तथा नगरीयकरण क्रियाओं ने जल संकट को और बढ़ाया है। क--क में चौमू तहसील की कुल जनसं□या ख्त्त-भ्फ थी जो बढ़कर ख्क में फ्ख्म्ब्त्त हो गयी है। यदि इसी गति से जनसं□या बढ़ती गयी तो ख्ख्भ् तक चौमू तहसील की जनसं□या भ् लाख के लगभग हो जाएगी, जिसके कारण औद्योगिकरण, नगरीयकरण, पेयजल, सिंचाई आदि के लिए जल की मांग और तेजी से बढ़ेगी जबकि वर्तमान में ही यह क्षेत्र अतिदोहन श्रेणी में आता है। इसलिए जनसं□या नियन्त्रण के द्वारा जल की मांग को नियन्त्रित किया जा सकता है तथा साथ ही बढ़ती जनसं□या द्वारा हो रहे जल के गुणात्मक ह्रास को रोका जा सकता है।

(iv) सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग

चौमू तहसील में सर्वाधिक भू-जल का उपयोग कृषि फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। फव्वारा (Sprinkler) तथा बूँद-बूँद (Drips) सिंचाई विधियों से भ् प्रतिशत भू-जल की बचत की जा सकती है। बूँद-बूँद सिंचाई द्वारा इस क्षेत्र में सर्वाधिक भू-जल की बचत की जा सकती है जिसमें जल का वाष्पीकरण भी कम होता है तथा -भ् प्रतिशत जल का उपयोग हो जाता है।

(v) वनावरण में वृद्धि

चौमू तहसील में केवल फ.क्फ प्रतिशत भू-भाग पर ही वन पाए जाते हैं। वन वर्षा जल को रोककर भू-जल संचरण में वृद्धि करते हैं तथा धरातलीय नमी का वाष्पीकरण होने से रोकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में वनावरण में वृद्धि करनी चाहिए। चौमू तहसील में स्थित बंजर भूमि पर वनावरण किया जाना चाहिए।

(vi) कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन

चौमू तहसील में विकास के वर्तमान दौर में तीव्रता से बदलते फसल प्रतिरूप के अन्तर्गत अधिक लाभकारी फसलें उत्पादित की जा रही हैं। जिनमें व्यापारिक फसलों विशेषकर सŽजयाँ जैसे टमाटर, मिर्ची, बैंगन, गोभी, टिण्डा, प्याज, कद्दू, लोकी, तुरई, भिण्डी आदि का उत्पादन किया जा रहा है, जिनमें अधिक सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। जल की उपलधता कम होने तथा फसलों में जल की अधिक मांग के कारण चौमू तहसील के भू-जल का अतिदोहन किया गया है।

इसलिए कृषि जलवायु दशाओं के अनुकूल फसल प्रतिरूप अपनाया जाए। जल की कम उपलŽधता वाले क्षेत्रों में कृषि वानिकी तथा बागवानी कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(vii) उद्योगों में जल की बचत

चौमू तहसील में जैतपुरा और कालाडेरा में औद्योगिक इकाइयाँ अवस्थित हैं। यहाँ पर विविध वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योग इकाईयों में अधिक जल की आवश्यकता है। कालाडेरा में स्थित शीतल पेय क□पनी द्वारा अतिदोहन के कारण यहाँ पर भू-जल की मात्रा इतनी कम हो गयी है कि पेयजल की पर्याप्त मात्रा एवं स्वच्छ रूप से नहीं मिल रहा है।

इनके अतिरिक्त इन औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला गंदा जल पुनः भू-जल में मिलकर इसके गुणात्मक स्वरूप को भी प्रदूषित कर रहे हैं।

इसलिए उद्योगों में जल की मात्रा उतनी ही उपयोग की जाए जितना वापिस भू- जल के रूप में पहुँचता है तथा यहाँ से निकलने वाले प्रदूषित जल को शुद्ध करके पुनः उपयोग का चक्र विकसित किया जाना चाहिए।

(viii) नगरपालिका एवं ग्राम पंचायतों द्वारा जल संरक्षण

चौमू नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत आवश्यकता वाले जल के संरक्षण के लिए जल की मांग एवं आपूर्ति दोनों पक्षों का प्रबन्धन किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में मकानों की छतों पर प्राप्त वर्षा जल को टेंक में एकत्रित करने की व्यवस्था को नियमबद्ध लागू करना चाहिए। चौमू तहसील में जल संरक्षण के लिए सबसे महžवपूर्ण व्यक्तिगत चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति हर परिस्थिति में जल बचाने की मानसिकता बनाए। जल की एक बूँद को भी बर्बाद नहीं होने दे तथा जहाँ तक स□भव हो जल की गुणवžाा को बचाए रखने के साथ ही वर्षा जल को संरक्षित किया जाए।

(ix) पार□परिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए

प्राचीन समय में पार□परिक जल संग्रह स्थल इस क्षेत्र की जनसं□या के एक बड़े भाग की जलापूर्ति करने में सक्षम रहे हैं लेकिन समय के साथ इनका अवनयन हुआ है। पार□परिक जल स्रोतों में संग्रहित जल का उपयोग कृषि तथा पेयजल दोनों रूपों में किया जा सकता है एवं इनसे भू-जल स्तर में भी सुधार होगा। इस क्षेत्र में नाड़ी, कुण्ड, कुई, बेरी, बावड़ी, झालरा, टोबा आदि पार□परिक जल स्रोत पाए जाते हैं। इनकी सफाई करके इनमें संग्रहित जल को स्वच्छ रखने एवं आवश्यकतानुसार उसका विवेकपूर्ण उपयोग करने की जि□मेदारी इनके समीप स्थित निजी व्यक्तियों को दी जाए, ताकि इनकी पुनर्जीवित किया जा सके।

वन्य जीव प्रबन्धन

चौमू तहसील में बढ़ती जनसं□या के दवाव तथा कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए, तीव्र गति से वन विनाश हुआ है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव इस क्षेत्र के वन्य जीवों पर पड़ा है। इस क्षेत्र

में नील गाय, खरगोश, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, सियार, सरिसृप जाति के सृप, धामण, गोहरा, पाटागुराय, भेड़िया आदि वन्य जीव पाए जाते थे। लेकिन वन-विनाश के कारण वर्तमान में इनकी संख्या में तीव्र गति से कमी आयी है जिसके कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। इनको बचाने के लिए वन्य जीवों का प्रबन्धन अति आवश्यक है।

चौमू तहसील में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए :-

(i) चौमू तहसील के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत क्षेत्र वन्य जीवों के लिए आरक्षित किया जाए, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबन्धित कर दिया जाए।

(ii) वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाए, कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा सरीसृप प्रजाति के जीवों को पकड़कर उनका जीवन-यापन में उपयोग करने को प्रतिबन्धित किया जाए।

(iii) नील गाय, खरगोश, पाटागुराय, सृप आदि इस क्षेत्र के संकटापन्न वन्य जीव है, उनकी प्रजातियों की रक्षा के लिए विशिष्ट उपाय किए जाने चाहिए।

(iv) कानून, नियमों व प्रतिबन्धों द्वारा वन्य जीवों के आखेट, वन-विनाश को रोककर प्रजननी जीवों की संख्या में वृद्धि की जाए जिससे इस क्षेत्र में घटती वन्य जीवों की संख्या को पुन: बढ़ाया जाए।

(v) सामोद, हाड़ौता, बांसा, किशनपुरा में स्थित वनीय क्षेत्रों को लघु वन्य जीव अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाए तथा इनके संरक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए।

(vi) कृत्रिम संग्रहण की प्रक्रिया द्वारा विलुप्त हो रहे वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि की जाए एवं इनके आवास स्थलों में सुधार किया जाए।

ऊर्जा संसाधनों का प्रबन्धन

ऊर्जा किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार है तथा ऊर्जा के द्वारा ही जीवमण्डलीय वृहद पारिस्थितिक तन्त्र परिचालित होता है। विविध ऊर्जा संसाधनों का उत्पादन चौमू तहसील में नगण्य है। इसलिए यहाँ दूसरे क्षेत्रों से आयातित ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पारम्परिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं, जिनकी मात्रा निश्चित है, इसलिए इन्हें समाप्य ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इसलिए सर्वाधिक प्रबन्धन की आवश्यकता समाप्य ऊर्जा स्रोतों को है।

ऊर्जा प्रबन्धन के लिए चौमू तहसील में निन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :-

(i) जीवाश्मीय ईंधनों का सीमित उपयोग किया जाए।

(ii) ऊर्जा के गैर परपरागत स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा, भू- तापीय ऊर्जा का विकास किया जाए।

(iii) जीवाश्मीय ईंधनों के उपयोग से हो रहे पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाली हानि को प्रतिबन्धित किया जाए।

(iv) नए स्रोतों की खोज की जाए।

(v) ऊर्जा संरक्षण के प्रति जनता को सावचेत किया जाए।

खनिज सपदा का प्रबन्धन

चौमू तहसील में खनिजों की दृष्टि से केवल मोरीजा - बानोल क्षेत्र में लोह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आवासीय स्थल बनाने के लिए चीथवाड़ी, फतेहपुरा, सामोद, हाथनौदा की पहाड़ियों से पत्थर का खनन किया जाता है, जिसके कारण इन खनिजों की मात्रा में तीव्र गिरावट आयी है। साथ ही कई पर्यावरणीय समस्याएँ भी इस क्षेत्र में खनन से उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :-

(i) खनिजों का चौमू तहसील में ग्रामीण स्तर पर सर्वेक्षण किया जाए तथा इनके उपयोग के लिए सुनियोजित प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए।

(ii) लोह अयस्क खनिज की मात्रा मोरीजा - बानोल में बहुत कम है, अत: इसका नियंत्रित उपयोग किया जाए।

(iii) खनन के दौरान वनोन्मूलन एवं विविध प्रदूषण आदि पर्यावरणीय हानियों को प्रतिबन्धित किया जाए।

(iv) वैज्ञानिक विधि से आधुनिक तकनीकी का उपयोग लोह एवं पत्थर के खनन में किया जाए ताकि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

(v) खनिजों के विकल्पों की खोज की जानी चाहिए।

(vi) अति आवश्यक होने पर ही सीमित मात्रा में उपलध इन खनिजों का खनन किया जाए।

सुझाव

पूर्व में वर्णित समस्याओं के सफल निदान के बिना चौमू तहसील में पोषणीय एवं सतत् विकास की गंगा को उचित दिशा नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनके निदानार्थ निम्न सुझाव प्रस्तावित किये जा रहे हैं :-

चौमू तहसील की सबसे बड़ी समस्या तीव्र गति से गिरता भू-जल स्तर है जिसके लिए वर्षा जल को प्रबन्धित करके पुनर्भरण दर को तीव्र किया जाये तथा सम्पूर्ण जल संसाधनों की जलकुण्डली बनायी जाए, उचित जलनीति क्रियान्वित की जाए। कालाडेरा, जैतपुरा औद्योगिक क्षेत्रों में तीव्र गति से हो रहे अतिदोहन को नियन्त्रित किया जाए। कुए, नलकूप बनाने पर कानूनी रोक लगानी चाहिए, योंकि चौमू तहसील अतिदोहन श्रेणी में आता है। इसलिए भू-जल का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए।

चौमू तहसील में वर्षा ऋतु में जल द्वारा तथा ग्रीष्म ऋतु में हवा से हो रहे मृदा अपरदन पर प्रभावी रोक लगायी जाए। अकृषि भूमि पर समोच्च वानस्पतिक अवरोधक निर्मित करके कृषि की जाए। प्रवाह का उचित उपचार किया जाए। वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाए तथा अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए।

चौमू तहसील में जल संसाधनों के असमान रूप से वितरीत होने के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए जलाधिय क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए जल उपलध करवाया जाए। जलाधिय वाले उारी-पूर्वी क्षेत्र में वर्षा जल को नियन्त्रित करने के लिए जल संग्रह संरचनाओं का निर्माण किया जाए तथा वर्षाकालीन अपवाह को नियन्त्रित किया जाए।

पश्चिमी भाग में उत्पन्न हो रही मरूस्थलीय दशाओं को नियन्त्रित करने के लिए सघन वृक्षारोपण किया जाए। कृषि वानिकी तथा बागवानी का अधिक विस्तार किया जाए। फसल चक्र विधि द्वारा भूमि को पड़त छोड़ा जाए और वैज्ञानिक तरीके से नियन्त्रित कृषि की जाए। अति चरागाह पर नियन्त्रण एवं अकृषि भूमि पर चरागाह विकसित किए जाएँ।

जनसं या के असमान वितरण से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए मानव संसाधन का विकसित होना अति आवश्यक है। संसाधनों का वैज्ञानिक एवं उपयुक्त दोहन के लिए मानव संसाधन का विकास किया जाना अति आवश्यक है।

जलग्रहण विकास कार्यक्रमों का इस क्षेत्र में त्वरित गति से संचालन किया जाए। इसके संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय लोगों पर हो तथा इसकी निगरानी का कार्य प्रशासन के पास होना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से इसका संचालन हो ताकि वास्तविक रूप से इससे लाभ प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष

बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाए। कुल भाग के प्रतिशत भाग पर वनों का होना भारत की संशोधित वन नीति का **मुख्य** पहलू है, लेकिन चौमू तहसील में केवल कुल भू-भाग के प्रतिशत भू-भाग पर ही वन हैं। अत: वनों का विकास कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, बागवानी के द्वारा किया जाए। उद्योगों से निसृत होने वाली गैसों को शुद्धीकरण के बाद वायुमण्डल में छोड़ा जाए। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना आवासीय क्षेत्र से दूर की जाए। नगरीय क्षेत्र में तीव्रता से बजने वाले होर्न पर रोक लगायी जाए। सीसा रहित पैट्रोल का उपयोग किया जाए तथा अधिक पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगायी जाए। उद्योगों में भू-जल के अतिदोहन पर रोक लगायी जाए। विकासात्मक कार्यक्रमों के सफल संचालन एवं उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए जन सहभागिता का होना अति आवश्यक है। इसके लिए जन समूह को विश्वास में लेकर उसे विकासात्मक गतिविधियों में भागीदार बनाया जाए तथा परम्परागत तकनीकी ज्ञान को आधुनिक विकासात्मक तकनीकि ज्ञान से जोड़ा जाए। इसके लिए जन जागृति फैलाई जाए।

संदर्भ सूचि

* Leong G.L. and Morgon G.L. (1995) : Human and Economic Geography, Oxford University Press, New York.
* शर्मा जे.पी. ( ) : प्रायोगिक भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
* Singh, R.N. and Morya, S.D. (1997) : Geographical Encyclopedia, Sharda Pustak Bhawan, Allahabad.

* Adams, M.E. (1982) : Agriculture extension in developing Countries, Trop. Ag. Ser. Longman.

* Biswas, A.K. (1980) : Water : A perspective on global issues and politics, Oxford University Press, Oxford.

* Bredero, F. (1987) : Vetiver grass–Method of Vegetative Soil and Moisture Conservation, ICARUS Pub. Ltd. New Delhi.

* Gurjar, R.K. (1987) : Irrigation impact on desert ecology–Scientific Publishers, Jodhpur.

* डॉ शंकर लाल चौपडा)2023पर्यावरण अवनयन व (
पब्लिकेशन जयपुर.एस.आर,सतत विकास